

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 164-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020 (KARTIKA 12, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd November, 2020

No. 35-HLA of 2020/85/16810.— The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 35-HLA of 2020

THE PUNJAB LAND REVENUE (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Punjab Land Revenue Act, 1887, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

- **1.** (1) This Act may be called the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Act, 2020.
- Short title and commencement.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. After section 111 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be inserted, namely:-
 - "111–A. Partition in case of joint holdings between land owners not related by blood.— (1) Notwithstanding anything contained in section 111 and within a period of three months from the date of commencement of this amending Act, the Revenue Officer having jurisdiction shall issue a suo motu notice to all co-sharers recorded in the revenue record or co-sharers in whose favour mutations have been sanctioned, to get the land in their joint ownership partitioned by mutual consent within a period of six months from the date of issue of the notice:

Provided that this provision shall not apply where all co-sharers are related by blood or where the other co-sharer is a spouse.

(2) If the partition is not carried out by the co-sharers due to any reason, the Revenue Officer may, on an application made to him by any co-sharer, grant a further extension of upto six months to get the land in their joint ownership partitioned by mutual consent.

Insertion of section 111-A in Punjab Act XVII

of 1887

(3) On receipt of the agreement by all co-sharers to the partition by mutual consent, the Revenue Officer shall, within a period of one month, affirm the partition amongst all or any of the co-sharers and direct an entry to be made in the mutation register in accordance with the provisions of section 123:

Provided that where there is a dispute regarding the land in any civil court or where the land is, or has been, recorded as shamilat deh as defined in clause (g) of section 2 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Revenue Officer shall decline to affirm such agreement or to make any entry in the mutation register.

(4) If the partition is not carried out within the period specified in sub-sections (1) and (2) and immediately on expiry of the said period thereof, the Revenue Officer shall proceed to adjudicate and decide the partition of the land under joint ownership amongst the co-sharers:

Provided that the Revenue Officer shall adjudicate and decide the matter within a maximum period of six months.

(5) After the decision by the Revenue Officer on partition of the land amongst the co-sharers as specified in sub-section (4), such order shall be held in abeyance for a period of three months from the date of decision of the Revenue Officer to grant liberty to the co-sharers to submit to the Revenue Officer a separate and mutually agreed partition of land under joint ownership of the co-sharers after giving them a notice:

Provided that where the co-sharer submit a separate and mutually agreed partition of land, such partition shall prevail upon the order of the Revenue Officer under sub-section (4) and shall be affirmed by the Revenue Officer as provided in sub-section (3).

- (6) While giving effect to the mutually agreed partition, as provided in sub-section (3) or sub-section (5), the co-sharers shall be entitled to transfer the land by way of exchange, sale or gift amongst themselves and no stamp duty leviable under the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), shall be levied on such transaction.
- (7) No appeal shall lie against any partition of land under joint ownership by mutual consent under sub-sections (3) and (5).
- (8) An appeal against the order of the Revenue Officer under sub-section (4) shall be filed before the Collector or such other officer authorized in this behalf by the State Government within a period of thirty days from the date of the order under sub-section (4).
- (9) The Collector shall give an opportunity of hearing and shall pass an order accepting, revising or rejecting the appeal. The Collector shall not remand the appeal under any circumstances.
- (10) No second appeal or revision shall lie against the order of the Collector under sub-section (9).".
- 3. After section 118 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
 - "118-A. Time limit for decision of partition cases.- (1) In partition cases not covered under section 111-A, the Revenue Officer shall decide the partition proceedings within a period of six months from the date of application for partition.
 - (2) If the Revenue Officer is not able to decide the partition case within the stipulated time for the reasons to be recorded in writing, he shall submit the case to the District Collector within fifteen days prior to the expiry of the prescribed period for extension of the same.
 - (3) The District Collector may, in exceptional cases and for the reasons to be recorded in writing, grant one time extension for making decision of a partition case for a period not exceeding three months subject to such other conditions, as he deems fit so as to ensure expeditious disposal of the case.
 - (4) If the Revenue Officer fails to decide a partition case within the original or extended period, as the case may be or contravenes any of the condition imposed by District Collector, he shall be liable for such action including imposition of penalty, as may be prescribed under relevant service rules applicable to such officer after following due procedure."

Insertion of section 118–A in Punjab Act XVII of 1887.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

An amendment of Punjab Land Revenue Act, 1887, so as to provide for speedy disposal of partition proceedings pending before the revenue court. It has been observed that partition proceedings pending before the revenue courts take long time as there is a no statutory limit to decide the same. As a consequence the landowners, specially the rural masses, have to face prolonged litigation. Besides, there is a general tendency to purchase land in share and thereafter, get the Girdawari done in specific Khasra numbers on the basis of mention of the same in the sale deeds. Resultantly, there is multifarious litigation both in civil as well as revenue courts. In order to cut short the delay in partition as well as to reduce litigation, it has been felt that necessary amendments be carried out in the Punjab Land Revenue Act, 1887. This will provide relief to all the landowners, especially the peasants and will boost agricultural efficiency by lessening the burden of litigation and ensuring time bound partition. Keeping in view the said position as well as public interest, it is necessary to insert sections 111-A and 118-A after sections 111 and 118 respectively in the Punjab Land Revenue Act, 1887. Hence, the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill. 2020.

	DUSHYANT CHAUTALA, Deputy Chief Minister, Haryana.
Chandigarh: The 3rd November, 2020.	R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 35 एच.एल.ए.

पंजाब भू—राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020 पंजाब भू—राजस्व अधिनियम, 1887, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ ।

- 1. (1) यह अधिनियम पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
- 2. पंजाब भू—राजस्व अधिनियम, 1887 (जिसे, इसमें , इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 111 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

ारा 111 के बाद, निम्नालाखत घारा रखा जाएगा, अथात् :— ''111—क. भू—स्वामियों, जो रक्त संबंधी न हों, के बीच संयुक्त सम्पत्तियों के मामले में विभाजन—(1) धारा 111 में दी गई किसी बात के होते हुए भी और इस संशोधित अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से तीन मास की अविध के भीतर, अधिकारिता रखने वाला राजस्व अधिकारी, राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित सभी संयुक्त भागीदारों या संयुक्त भागीदारों, जिनके पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया जाना है, को नोटिस जारी होने की तिथि से छह मास की अविध के

स्व-प्रेरणा से नोटिस जारी करेगा:

परन्तु यह उपबन्ध वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ सभी संयुक्त भागीदार रक्त संबंधी हों या जहाँ अन्य संयुक्त भागीदार पति / पत्नी हो।

भीतर उनके संयुक्त स्वामित्व में आपसी सहमित से विभाजित भूमि को प्राप्त करने के लिए

- (2) यदि विभाजन किसी कारण से संयुक्त भागीदारों द्वारा नहीं किया गया है, तो राजस्व अधिकारी, किसी संयुक्त भागीदार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर, उनके संयुक्त स्वामित्व में आपसी सहमति से विभाजित भूमि को प्राप्त करने के लिए छह मास तक का और विस्तार प्रदान कर सकता है।
- (3) सभी संयुक्त भागीदारों से आपसी सहमित से विभाजन के लिए करार की प्राप्ति पर, राजस्व अधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर, सभी या किन्ही संयुक्त भागीदारों के बीच विभाजन को पुष्ट करेगा और धारा 123 के उपबन्धों के अनुसार नामान्तरण रजिस्टर में किए जाने वाले इन्द्राज के लिए निर्देश करेगाः

परन्तु जहाँ किसी सिविल न्यायालय में भूमि के संबंध में कोई विवाद है या जहाँ भूमि पंजाब शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961(1961 का पंजाब अधिनियम 18) की धारा 2 के खण्ड (छ) में यथा परिभाषित शामलात देय के रूप में अभिलिखित है या की गई है, तो राजस्व अधिकारी, ऐसे करार की पुष्टि करने या नामान्तरण रिजस्टर में कोई इन्द्राज करने से इन्कार करेगा।

(4) यदि विभाजन उप—धारा (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया है और उक्त अवधि की समाप्ति पर तुरन्त, राजस्व अधिकारी संयुक्त भागीदारों में संयुक्त स्वामित्वाधीन भूमि के विभाजन के न्यायनिर्णय के लिए कार्यवाही करेगा और विनिश्चित करेगाः

परन्तु राजस्व अधिकारी अधिकतम छह मास की अवधि के भीतर मामले का न्यायनिर्णय और विनिश्चय करेगा।

(5) उप—धारा (4) में यथा विनिर्दिष्ट संयुक्त भागीदारों में भूमि के विभाजन पर राजस्व अधिकारी के विनिश्चय के बाद, ऐसा आदेश राजस्व अधिकारी के विनिश्चय की तिथि से संयुक्त भागीदारों को नोटिस देने के बाद राजस्व अधिकारी को उनके संयुक्त स्वामित्वाधीन भूमि के विभाजन के लिए पृथक् और आपसी सहमित से प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त भागीदारों को अधिकार प्रदान करने के लिए तीन मास की अवधि के लिए आस्थिगित रखा जाएगाः

1887 का पंजाब अधिनियम XVII में धारा 111–क का

रखा जाना।

परन्तु जहाँ संयुक्त भागीदार भूमि के विभाजन के लिए पृथक् और आपसी सहमित देते हैं, तो ऐसा विभाजन उप–धारा (4) के अधीन राजस्व अधिकारी के आदेश से लागू होगा और उप–धारा (3) में यथा उपबन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा पुष्ट किया जाएगा।

- (6) उप—धारा (3) या उप—धारा (5) में यथा उपबन्धित आपसी सहमित से हुए विभाजन को प्रभावी रूप देते समय, संयुक्त भागीदार, विनिमय, विक्रय या उपहार के रूप में भूमि का अंतरण करने के लिए हकदार होंगे और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन उद्ग्रहणीय कोई भी स्टाम्प शुल्क ऐसे अंतरण पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।
- (7) उप—धारा (3) तथा (5) के अधीन आपसी सहमित से संयुक्त स्वामित्वाधीन भूमि के किसी विभाजन के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।
- (8) उप—धारा (4) के अधीन राजस्व अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील, उप—धारा (4) के अधीन आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर कलक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी के सम्मुख दायर की जाएगी।
- (9) कलक्टर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और अपील को स्वीकार, परिवर्तित या रद्द करने का आदेश पारित करेगा। कलक्टर किन्हीं भी परिस्थितियों में अपील प्रतिपषेण नहीं करेगा।
- (10) उप–धारा (9) के अधीन कलक्टर के आदेश के विरूद्ध कोई भी द्वितीय अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा।"।
- 3. मूल अधिनियम की धारा 118 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

1887 का पंजाब अधिनियम XVII में (1) धारा 118–क का के रखा जाना।

- "118—क. विभाजन के मामलों का विनिश्चय करने के लिए समय सीमा.—(1) धारा 111—क के अधीन नहीं आने वाले विभाजन के मामलों में, राजस्व अधिकारी विभाजन के लिए आवेदन की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर विभाजन की कार्यवाहियों को विनिश्चित करेगा।
- (2) यदि राजस्व अधिकारी अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से नियत समय के भीतर विभाजन के मामले का विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है, तो वह उस मामले के विस्तार के लिए विहित अवधि की समाप्ति से पूर्व पन्द्रह दिन के भीतर जिला कलक्टर को मामला प्रस्तुत करेगा।
- (3) जिला कलक्टर, आपवादिक मामलों में और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, ऐसी अन्य शर्तों, जो जहाँ तक मामले का अतिशीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए उचित समझें, के अध्यधीन, वह तीन मास से अनधिक की अविध के लिए विभाजन के मामले का विनिश्चय करने हेतु एक बार के लिए विस्तार प्रदान कर सकता है।
- (4) यदि राजस्व अधिकारी, वास्तविक या विस्तारित अवधि, जैसी भी स्थिति हो, के भीतर किसी विभाजन के मामले का विनिश्चय करने में असफल रहता है या जिला कलक्टर द्वारा अधिरोपित किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद ऐसे अधिकारी को लागू सुसंगत सेवा नियमों के अधीन ऐसी शास्ति, जो विहित की जाए के अधिरोपण सहित ऐसी कार्रवाई के लिए दायी होगा।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राजस्व न्यायालय में लम्बित विभाजन की कार्यवाही के त्विरत निस्तारण के लिए पंजाब भू—राजस्व अधिनियम, 1887 में संशोधन किया जा रहा है। यह अनुभव किया गया है कि राजस्व न्यायालयों में लम्बित विभाजन की कार्यवाही में बहुत अधिक समय लगता है क्योंकि इनके निपटान बारे कोई वैधानिक समय सीमा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप भू—स्वामियों, विशेष रूप से ग्रामीण जनता को लम्बे समय तक मुकद्मेबाज़ी का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह एक सामान्य प्रवृति है कि हिस्सेदारी में भूमि खरीद ली जाती है और उसके पश्चात् बिक्री पत्र के आधार पर विशिष्ट खसरा नम्बरों में गिरदावरी अपने नाम करवा ली जाती है। इसके परिणामस्वरूप दीवानी एवं राजस्व न्यायालयों में बहुपक्षीय मुकद्मेबाज़ी होती है। विभाजन में देरी के साथ—साथ मुकद्मेबाज़ी को कम करने के लिए पंजाब भू—राजस्व अधिनियम, 1887 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इससे सभी भू—स्वामियों विशेष रूप से किसानों को राहत मिलेगी और मुकद्मेबाज़ी कम होने से कृषि दक्षता को बढ़ावा मिलेगा तथा समयबद्व विभाजन सुनिश्चित होगा। अतः सार्वजनिक हित एवं उक्त स्थिति के मध्यनज़र पंजाब भू—राजस्व अधिनियम, 1887 में धारा 111 व 118 के बाद धारा 111—ए व 118—ए को जोड़ा जाएगा।

दुष्यंत चौटाला, उप–मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 3 नवम्बर, 2020. आर० के० नांदल, सचिव।

8958—H.V.S.—H.G.P. Pkl.